

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-43/2025 दिनांक 12.02.2025)
***दिनांक-12.02.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस**
द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

थाना खड्डा पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मुकदमें में 02 नफर वांछित एवं 01 अन्य वारंटी सहित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.02.2025 को थाना खड्डा पुलिस की टीम द्वारा मु0अ0सं0 35/25 धारा 80/85 बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट से संबंधित 02 नफर वांछित अभियुक्तों एवं मु0नं0 277/22 धारा 128 सीआरपीसी से संबंधित 01 नफर वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

- 1-मु0अ0सं0 35/25 धारा 80/85 बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट
- 2- मु0नं0 277/22 धारा 128 सीआरपीसी

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1-उमेश यादव पुत्र रामाज्ञा यादव साकिनान भुजौली बुजुर्ग पूरब टोला थाना खड्डा जनपद कुशीनगर (वांछित)
- 2-रामाज्ञा यादव पुत्र लोरिक यादव साकिनान भुजौली बुजुर्ग पूरब टोला थाना खड्डा जनपद कुशीनगर (वांछित)
- 3- सराफुद्दीन पुत्र सुलेमान उर्फ फेकु सा0 सिसवा गोपाल थाना खड्डा जनपद कुशीनगर (वारंटी)

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री हर्षवर्धन सिंह थाना खड्डा जनपद कुशीनगर
- 2-उ0नि0 शर्मा सिंह यादव थाना खड्डा जनपद कुशीनगर
- 3-का0 सानू यादव थाना खड्डा जनपद कुशीनगर
- 4-का0 विश्वजीत यादव थाना खड्डा जनपद कुशीनगर
- 5-का0 नितेश तिवारी थाना खड्डा जनपद कुशीनगर

***अंतर्राज्यीय शराब तस्करी गैंग का पर्दाफाश, 45 टेट्रा पैक व 07 बोटल**



अवैध अंग्रेजी शराब तथा दो अदद मोटरसाईकिल के साथ 03 शराब तस्करो को किया गया गिरफ्तार-*

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री अमित कुमार सक्सेना के नेतृत्व अवैध शराब बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सेवरही पुलिस टीम द्वारा दिनांक 11.02.2025 को 03 शराब तस्करो को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 45 पैक 8 पीएम प्रत्येक 180 एमएल व 07 बोतल रायल स्टेज प्रत्येक 750 एमएल अवैध अंग्रेजी शराब तथा 02 अदद मोटरसाईकिल की बरामदगी की गयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 37/2025 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध का तरीका-

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हमारा घर बिहार में है जहां पर शराब पूर्ण रूप से बंद है तथा जहां से हम लोग उ0प्र0 के आसपास बार्डर क्षेत्रों से शराब भठ्ठीयो से शराब खरीदकर बिहार में ले जाकर ऊंचे दामो पर बेचते है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 37/2025 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1-राजकुमार यादव पुत्र नन्दलाल निवासी ग्राम भगवानपुर थाना नदी जिला पश्चमी चम्पारण बिहार
- 2-गुड्डू कुमार पुत्र अभिमुन्यु राम निवासी बैरिया चुडिहरवा टोला थाना बैरिया जनपद पश्चमी चम्पारण बिहार
- 3-मोहम्मद सैफ अली पुत्र नासिर हुसैन निवासी पुजहा पटजीरवा थाना श्रीनगर पुजहा जनपद पश्चमी चम्पारण बिहार।

बरामदगी का विवरण-(कुल कीमत लगभग 1,50,000/- रूपये)

- 1-45 पैक 8 पीएम (प्रत्येक 180 एम0 एल0) व 07 बोतल रायल स्टेज (प्रत्येक 750 एम0एल0)
- 2-02 अदद मोटरसाईकिल सुपर स्पेलण्डर नं0 BR22BD9084 व अपाची (बिना नं0 प्लेट की)

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-थानाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र राय थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
- 2-उ0नि0 संदीप कुमार वर्मा थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
- 3-का0 शुभम यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
- 4-का0 प्रदीप यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
- 5-का0 उपेन्द्र कुमार थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा पास्को एक्ट आदि के मुकदमे में एक वांछित तथा एक अन्य वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.02.2025 को थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 413/2024 धारा 115(2),352 BNS व 5एम/6 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त आनन्द भारती पुत्र लालबचन नि0 ग्राम गिदहा चक बैरिया थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर तथा मु0सं0 1950/18 धारा 147,323,504,506 भादवि से संबंधित वारण्टी अभियुक्त विनोद यादव पुत्र विल्लर साकिन हरपुर सुक्खड़ थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 413/2024 धारा 115(2),352 BNS व 5एम/6 पाक्सो एक्ट
2. मु0सं0 1950/18 धारा 147,323,504,506 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. आनन्द भारती पुत्र लालबचन नि0 ग्राम गिदहा चक बैरिया थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर (वांछित)
2. विनोद यादव पुत्र विल्लर साकिन हरपुर सुक्खड़ थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर (वारण्टी)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री दिनेश कुमार थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 जुगेश कुमार आनन्द थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 शुभम कुमार भार्गव थाना अहिरौली बाजार जनपद



कुशीनगर

4. हे0का0 रामनिवास भार्गव अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
5. का0 अनिल यादव-2 थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 36 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-62 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-74, व्यक्ति-193
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(08)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-44)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

